

बैंक एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ इंडिया

नरेश पॉल सेंटर

53 राधा बाजार लेन, (पहली मंजिल), कोलकाता - 700 001



e-mail:pradipbefi@yahoo.co.in Website: www.befi.in

(Ph):033- 2225-4414/2236-5108 (M) 94331 44271

एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी पर 18 फरवरी 2022 को भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

भारतीय अर्थव्यवस्था लूट और विशाल आयामों की धोखाधड़ी से घिरी हुई है, जो 1991 के बाद से सरकारों द्वारा अपनाए गए नवउदारवादी नीति सुधारों के लालच और वर्तमान सरकार द्वारा जनता पर थोपा गया और जिस कारण बड़े पैमाने पर लूट और धोखाधड़ी बिना किसी रोक-टोक के सामने आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में ₹ 5.35 लाख करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले सामने आए हैं, ₹8.17 लाख करोड़ बैंक ऋण बट्टे खाते में डाले गए, जबकि बैंक ऋण डिफॉल्ट एक आश्चर्यजनक संख्या ₹21 लाख करोड़ तक बढ़ गया। इसका बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कीमत पर बड़े व्यापारिक दिग्गजों द्वारा विनियोजित किया गया था। लूट के अलावा, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि बहुप्रतीक्षित 'गुजरात मॉडल' के हस्ताक्षर वाली कंपनी है, बैंकों के साथ ₹22,842 करोड़ की धोखाधड़ी की, जो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी है।

गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड ने नई पीढ़ी के निजी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों के एक संघ से 2005 से 2010 के बीच बैंक ऋण प्राप्त किया। समाचार पोर्टल, 'द प्रिंट' ने सीबीआई के एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि निजी बैंक द्वारा बिना उचित जाँच-बीन के पैसा दिया गया था। कंपनी बाद में 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित हुई, वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा था। यहां तक कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने भी युद्धपोतों और अन्य जहाजों के निर्माण के अपने ऑर्डरों को समाप्त कर दिया और

2012 के बाद, फर्म की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगी, जिससे यह 30 नवंबर 2013 को एनपीए बन गया।

बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और कई यूनियनों और वामपंथी राजनीतिक दलों ने लगातार सभी बड़े एनपीए खातों के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की थी ताकि बैड डेट की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके, जिसके बाद विलफुल डिफॉल्टरों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन नवउदारवादी नीतियों के एजेंटों ने इसका कड़ा विरोध किया। मार्च 2014 में सीडीआर तंत्र के तहत एनपीए खाते का पुनर्गठन किया गया था। आश्चर्यजनक रूप से, उस समय स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (केमैन) लिमिटेड की इकाइयों में पहले से ही ₹236.4 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था।

अप्रैल 2018 में फॉरेंसिक ऑडिटर ने काम शुरू किया और उन्होंने जनवरी 2019 में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पता चला कि अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच, अभियुक्तों ने एक साथ मिलीभगत की और धन के डायवर्जन, दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात सहित अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। सीबीआई को संदेह है कि कंपनी ने पुनर्गठन प्रक्रिया से बहुत पहले से धन को टैक्स हेवन में भेजना शुरू कर दिया था।

हालांकि E&Y ने जनवरी 2019 में ऑडिट रिपोर्ट जमा की लेकिन SBI ने उस साल नवंबर में दस महीने बाद शिकायत दर्ज की। अगस्त 2020 में फिर से एक नई शिकायत दर्ज की गई, लेकिन सीबीआई ने आखिरकार 7 फरवरी 2022 को बड़े धोखाधड़ी के पता लगने के 37 महीने बाद ही मामला दर्ज किया और प्रमोटरों को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया, जो उन्हें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य की तरह भाग जाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है।

संयोग से, वित्त मंत्री ने लापरवाही से देरी का बचाव किया और इस सरकार के तहत इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की जिम्मेदारी को इस दलील पर टाल दिया कि खाते को यूपीए शासन के दौरान चालू किया गया था।

BEFI सत्ता के गलियारों में बैंक ऋण के सभी विलफुल डिफॉल्टरों और धोखेबाजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सभी बड़े राइट-ऑफ, धोखाधड़ी और चूक की फॉरेंसिक समीक्षा और ऑडिट की मांग करता है। हम बेईमान राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों, शीर्ष

स्तर के बैंकरोँ, नापाक व्यापारिक दिग्गजों के अपवित्र गठजोड़ की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और लोगों से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और स्वतंत्र के आह्वान पर 28 और 29 मार्च 2022 को आम हड़ताल के समर्थन में एकजुट होने और एक के रूप में उठने की अपील करते हैं जिसका फेडरेशनों के साथ-साथ कई जन संगठनों ने राष्ट्र और उसके गरीब लोगों को जन-विरोधी नवउदारवादी नीतियों और घरेलू अर्थव्यवस्था को और अधिक तबाह से बचाने के लिए किया है।



चिरंजीत घोष

संयुक्त सचिव